भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1444

दिनांक 04.12.2024 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण और कार्यनीतिक महत्व के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी

1444 श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खनिज ब्लॉकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके लिए सरकार ने निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) खान मंत्रालय द्वारा घोषित 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है और कितने ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है और कितने आवंटन की प्रतीक्षा की जा रही है;

(ग) इन खनिज ब्लॉकों के लिए निविदाएं प्राप्त करने वाली इकाइयों का ब्यौरा क्या है और कंपनियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को आवंटित ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आवंटित ब्लॉकों में खनन कार्य आरंभ करने की संभावित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि सामाजिक और आर्थिक क्षति को कम किया जाए?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) अब तक खान मंत्रालय ने चार चरणों में 48 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के लिए निविदा आमंत्रण सूचनाएं (एनआईटी) जारी की हैं। इनमें से 24 ब्लॉकों (4 खनन पट्टे (एमएल) और 20 संयुक्त लाइसेंस (सीएल)) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है और अधिमानित बोलीदाताओं की घोषणा की गई है। राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

(घ) खनन पट्टे के लिए नीलाम किए गए ब्लॉक के मामले में, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 10 के अनुसार, खनन पट्टे को आशय पत्र (एलओआई), जिसे राज्य सरकार द्वारा लेखबद्ध कारणों से 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाना है, इसके अलावा, इन ब्लॉकों से उत्पादन खनन पट्टे के निष्पादन के 2 वर्ष के भीतर शुरू करना है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

संयुक्त लाइसेंस के लिए नीलाम किये गये ब्लॉक के मामले में, आशय पत्र (एलओआई) जारी करने के बाद, अधिमानित बोलीदाता को पूर्वेक्षण कार्यों को शुरू करने के लिए लागू कानूनों के तहत यथा अपेक्षित सभी सहमतियां, अनुमोदन, परमिट, अनापत्तियां प्राप्त करनी हैं और संयुक्त लाइसेंस, जिसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, के निष्पादन के लिए आशय पत्र की तारीख से 01 वर्ष के भीतर पूर्वेक्षण की योजना प्रस्तुत करनी है। इसके बाद, संयुक्त लाइसेंस धारक को 3 वर्ष के भीतर खनिज तत्वों के साक्ष्य का पता लगाने के लिए क्षेत्र का भूवैज्ञानिक गवेषण करना होगा, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्वेक्षण कार्य पूरा करने और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, राज्य सरकार पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी करेगी और खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 10(6) के अनुसार अगला खनन पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा।

(ड.) मौजूदा कानून के अनुसार, खनन पट्टे के निष्पादन से पहले, प्रत्येक खान को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी जैसी अपेक्षित वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम, 1957] की धारा 24क में प्रावधान है कि रियायत धारक भूमि की सतह के अधिभोगी को किसी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सर्वेक्षण, खनन या पूर्वेक्षण कार्यों से उत्पन्न होने की संभावना है या उत्पन्न हुई है।

खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के अध्याय-**V** के तहत प्रावधान करके सतत खनन को कार्यान्वित किया है। वायु प्रदूषण से बचाव, जहरीले तरल के स्राव की रोकथाम, ध्वनि प्रदूषण से बचाव, सतह के धंसने पर नियंत्रण आदि के लिए नियमों में प्रावधान शामिल किए गए हैं।

एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 में खनिकों द्वारा अपनाई गई सतत खनन पद्धतियों के आधार पर खनन पट्टों की स्टार रेटिंग का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 (4) के अनुसार, प्रत्येक खनन पट्टाधारक खनन कार्य शुरू करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम तीन-स्टार रेटिंग प्राप्त करेगा और उसके बाद उसे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बनाए रखेगा।

*****

अनुलग्नक- I

सं.	राज्य	ब्लॉक का नाम	एमएल/सीएल	अधिमानित बोलीदाता का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	बालेपालयम टंगस्टन एंड एसोसिएटेड मिनरल ब्लॉक	सीएल	हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
2.	अरूणाचल प्रदेश	डिपो वैनेडियम एंड ग्रेफाइट ब्लॉक	सीएल	वेदांता लिमिटेड
3.	अरूणाचल प्रदेश	एंडोलिन-इशोलिन ग्रेफाइट ब्लॉक	सीएल	मैम्को माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
4.	अरूणाचल प्रदेश	लोडोसो ईस्ट आरईई एंड एसोसिएटेड मिनरल ब्लॉक	सीएल	--
5.	अरूणाचल प्रदेश	फॉप ग्रेफाइट एंड वैनेडियम ब्लॉक	सीएल	ऑयल इंडिया लिमिटेड
6.	अरूणाचल प्रदेश	राधपु ग्रेफाइट एंड वैनेडियम ब्लॉक	सीएल	उड़ीसा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	बिहार	चुटिया-नौहट्टा ग्लौकोनाइट ब्लॉक	सीएल	रुंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड
8.	बिहार	जेनजाना निकेल, क्रोमियम एंड पीजीई ब्लॉक	सीएल	वेदांता लिमिटेड
9.	बिहार	पिपराडीह-भुर्वा ग्लौकोनाइट ब्लॉक	सीएल	रुंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड
10.	छत्तीसगढ	भालुकोना ग्लौकोनाइट ब्लॉक	सीएल	--
11.	छत्तीसगढ	चिकनीपानी टंगस्टन ब्लॉक	सीएल	--
12.	छत्तीसगढ	कटघोरा लिथियम एंड आरईई ब्लॉक	सीएल	मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
13.	छत्तीसगढ	केलेंडा ग्लौकोनाइट ब्लॉक	सीएल	--
14.	छत्तीसगढ	रायपुरा फॉस्फोराइट एंड लाइमस्टोन ब्लॉक	सीएल	--
15.	छत्तीसगढ	सेमहरडीह. फॉस्फोराइट एंड लाइमस्टोन ब्लॉक	सीएल	--
16.	गुजरात	कुंडोल निकल एंड क्रोमियम ब्लॉक	सीएल	--
17.	झारखंड	मुस्कानिया-गड़ेरियाटोला-बरवरी पोटाश ब्लॉक	सीएल	--
18.	झारखंड	पोंची ग्रेफाइट ब्लॉक	एमएल	सतगुरु माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
19.	कर्नाटक	डोम्बराहल्ली फॉस्फेट	सीएल	--

सं.	राज्य	ब्लॉक का नाम	एमएल/सीएल	अधिमानित बोलीदाता का नाम
		और आरईई ब्लॉक		
20.	कर्नाटक	गोल्लारहट्टी-मल्लेनहल्ली निकल, क्रोमियम एंड पीजीई ब्लॉक	सीएल	वेदांता लिमिटेड
21.	कर्नाटक	होलालकेरे-डोड्डाघट्टा निकल एंड पीजीई ब्लॉक	सीएल	--
22.	कर्नाटक	संयासिकोप्पा कोबाल्ट, मैंगनीज एंड आयरन ब्लॉक	सीएल	वेदांता लिमिटेड
23.	मध्य प्रदेश	बहेरा-गोरियारा ग्रेफाइट एंड बेसमेटल ब्लॉक	सीएल	विनमिर रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
24.	मध्य प्रदेश	गोलीघाट ग्रेफाइट एंड वैनेडियम ब्लॉक	एमएल	शांति जीडी इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
25.	मध्य प्रदेश	खट्टाली छोटी ग्रेफाइट ब्लॉक	सीएल	कोल इंडिया लिमिटेड
26.	महाराष्ट्र	कनकौली पीजीई, निकल, क्रोमियम एंड एसोसिएटेड मिनरल ब्लॉक	सीएल	--
27.	महाराष्ट्र	वडाखोल-असोली निकल, क्रोमियम और एसोसिएटेड खनिज ब्लॉक	सीएल	असम मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
28.	ओडिशा	अखरकाटा ग्रेफाइट ब्लॉक	सीएल	कुन्दन गोल्ड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
29.	ओडिशा	बाबजा ग्रेफाइट एंड मैंगनीज ब्लॉक	एमएल	अग्रसेन स्पंज प्राइवेट लिमिटेड
30.	ओडिशा	बियारपल्ली ग्रेफाइट एंड मैंगनीज ब्लॉक	एमएल	अग्रसेन स्पंज प्राइवेट लिमिटेड
31.	ओडिशा	दुधियासोल ईस्ट निकल एंड कॉपर ब्लॉक	एमएल	--
32.	राजस्थान	भरुसारी. पोटाश एंड हैलाइट ब्लॉक	सीएल	--
33.	राजस्थान	लखासर पोटाश एंड हैलाइट ब्लॉक	सीएल	--
34.	राजस्थान	झंडावाली-सतीपुरा एमालगैमेटेड पोटाश एंड हैलाइट ब्लॉक	सीएल	--

सं.	राज्य	ब्लॉक का नाम	एमएल/सीएल	अधिमानित बोलीदाता का नाम
35.	राजस्थान	जोर्कियन-सतीपुरा-खुंजा एमालगैमेटेड पोटाश एंड हैलाइट ब्लॉक	सीएल	--
36.	तमिलनाडु	इलुप्पाकुडी ग्रेफाइट ब्लॉक	सीएल	डालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड
37.	तमिलनाडु	कुरुन्जाकुलम ग्रेफाइट ब्लॉक	सीएल	--
38.	तमिलनाडु	मन्नादिपट्टी मध्य मोलिब्डेनम ब्लॉक	सीएल	--
39.	तमिलनाडु	मरुडीपट्टी (मध्य) मोलिब्डेनम ब्लॉक	एमएल	--
40.	तमिलनाडु	नयक्करपट्टी टंगस्टन ब्लॉक	सीएल	हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
41.	तमिलनाडु	नोचिपट्टी मोलिब्डेनम ब्लॉक	सीएल	--
42.	तमिलनाडु	वेलमपट्टी उत्तर ए एंड बी मोलिब्डेनम ब्लॉक	सीएल	--
43.	तमिलनाडु	वेल्लाक्कल मध्य (सेगमेंट-ए) मोलिब्डेनम ब्लॉक	सीएल	--
44.	उत्तर प्रदेश	बरवार फॉस्फोराइट ब्लॉक	सीएल	मैम्को माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
45.	उत्तर प्रदेश	कुरछा ग्लौकोनाइट ब्लॉक	सीएल	शोभा मिनरल्स
46.	उत्तर प्रदेश	नवाटोला-लाबंद आरईई ब्लॉक	सीएल	--
47.	उत्तर प्रदेश	पहाड़ीकलां-गोरा कलां फॉस्फोराइट ब्लॉक	सीएल	सागर स्टोन इंडस्ट्रीज
48.	संघ राज्य क्षेत्र: जम्मू और कश्मीर	सलाल-हैम्ना लिथियम, टाइटेनियम एंड बॉक्साइट (एल्युमिनस लेटराइट) ब्लॉक	सीएल	--